

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 798

दिनांक: 04-7-19

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित निजी सहायकों/ग्रेड 'सी' आशुलिपिकों को निजी सचिव के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/-रु के पे बैंड में 4800/-रु के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं:-

क्रम सं० / वरि.सं०	नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/-	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/439	पृथ्वी राज झाम्ब सुपुत्र श्री केसर दास	आयुक्त (भूमि निपटन)
2/440	श्रीमती नीरू गाँधी धर्मपत्नी श्री सुदर्शन देव गाँधी	अधिशाषी अभियंता (सतर्कता) - VII
3/442	श्रीमती नीरा टंडन धर्मपत्नी श्री हेमंत कुमार टंडन	पश्चिमी खंड - 6
4/444	राजे राम डबास सुपुत्र श्री रतन सिंह डबास	वरिष्ठ विधि अधिकारी (तीस हज़ारी)
5/445	श्रीमती उषा अरोड़ा धर्मपत्नी श्री जोगिन्दर कुमार अरोड़ा	निदेशक (योजना) एम.पी.आर. एवं. टी.सी.

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/-रु के वेतन मान में 4800/-रु के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जोकि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर निर्धारित होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. निजी सचिव के पद पर अधिकारियों की पदोन्नति के परिणाम स्वरूप सक्षम अधिकारी, दि.वि.प्रा. ने उनकी तैनाती को निम्नानुसार अनुमोदित किया है :-

क्रम सं० / वरि.सं०	नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/-	स्थान से	स्थान को
1/439	पृथ्वी राज झाम्ब सुपुत्र श्री केसर दास	पदोन्नति पर	उपाध्यक्ष कार्यालय (श्री कमल कुमार के स्थान पर)
2/440	श्रीमती नीरू गाँधी धर्मपत्नी श्री सुदर्शन देव गाँधी	पदोन्नति पर	निदेशक सतर्कता - 2
3/442	श्रीमती नीरा टंडन धर्मपत्नी श्री हेमंत कुमार टंडन	पदोन्नति पर	वरिष्ठ वास्तुविद (उत्तरी क्षेत्र) (श्री मदन कँवर के स्थान पर)
4/444	राजे राम डबास सुपुत्र श्री रतन सिंह डबास	पदोन्नति पर	अतिरिक्त मुख्य वास्तुविद (एच.यू.पी.डब्लू.) रोहिणी क्षेत्र (श्रीमती रमेश कुमारी के स्थान पर)
5/445	श्रीमती उषा अरोड़ा धर्मपत्नी श्री जोगिन्दर कुमार अरोड़ा	पदोन्नति पर	अतिरिक्त आयुक्त (योजना) - 3

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।



(तेजपाल सिंह)  
उप निदेशक (गोपनीय शाखा)



सं०-एफ.10(10)2019/सी.सी./

747

दिनांक:-

4/7/19

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष के विशेष अधिकारी एवं आयुक्त, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
2. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
3. प्रधान आयुक्त (कार्मिक) / भूमि निपटन, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
4. आयुक्त (कार्मिक) / भूमि निपटन, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
5. अतिरिक्त आयुक्त (योजना) - 3, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
6. अतिरिक्त मुख्य वास्तुविद (एच.यू.पी.डब्लू.) रोहिणी क्षेत्र, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
7. वरिष्ठ वास्तुविद, उत्तरी क्षेत्र दि.वि.प्रा. ।
8. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता 1 एवं 2 / प्रणाली / (योजना) एम.पी.आर. एवं. टी.सी. (विकास मीनार), दि.वि.प्रा.
9. अधिशाषी अभियंता (सतर्कता) - VII / पश्चिमी खंड - 6, दि.वि.प्रा. ।
10. उप निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / सतर्कता (प्रशा.) / आरक्षण कक्ष, दि.वि.प्रा. ।
11. वरिष्ठ विधि अधिकारी (तीस हज़ारी), दि.वि.प्रा. ।
12. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us-> Organisation-> Personnel-> Promotions 2019) ।
13. लेखाधिकारी (संस्था) राजपत्रित/अराजपत्रित / योजना / सम्बंधित (सी.ए.यू), दि.वि.प्रा. ।
14. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / पी.आई.एम.एस. / गोपनीय कक्ष-2, दि.वि.प्रा. ।
15. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
16. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल ।



(हरीश शर्मा)

सहायक निदेशक